न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुकत, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी–अजीत सिंह राजावत, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 02/2024

अपीलांट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
1. आसूराम पुत्र स्व0 भींयाराम विश्नोई 2. भाखराराम पुत्र स्व0 कानाराम विश्नोई 3. वीरमाराम पुत्र स्व0 कानाराम विश्नोई 4. हडमानराम पुत्र स्व0 उदाराम विश्नोई 5. हरलाल पुत्र स्व0 भींयाराम विश्नोई 6. हीरकनराम पुत्र स्व0 उदाराम विश्नोई (निवासी अणदाणियों की बेरी, तह0 नोखडा, जिला बाडमेर)		1. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार नोखडा, जिला बाडमेर **औपचारिक प्रत्यर्थीगण–** 2. देवाराम पुत्र निम्बाराम विश्नोई 3. पालू पत्नी पांचाराम विश्नोई 4. मुकनाराम पुत्र पांचाराम विश्नोई 5. मोहनलाल पुत्र निम्बाराम विश्नोई 6. वरिंगाराम पुत्र उदाराम विश्नोई 7. विरधाराम पुत्र उदाराम विश्नोई 8. विष्णु पुत्र भंवरलाल विश्नोई 9. हनुमान पुत्र पांचाराम विश्नोई (निवासी अणदाणियों की बेरी, तह0 नोखडा, जिला बाडमेर)

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956, विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी गुडामालानी आदेश कमांक 753 दिनांक 19.7.23

उपस्थिति –
1. श्री लाधूराम विश्नोई वकील अपीलांट्स
2. श्री नवलसिंह दहिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 1 की ओर से
3. श्री रोशनलाल विश्नोई, औपचारिक रेस्पो0 सं0 5 व 9

निर्णय

दिनांक 15.05.2024

प्रस्तुत अपील प्रकरण के तथ्य मुख्यतः इस प्रकार से है कि उपखण्ड अधिकारी गुडामालानी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.07.2023 के द्वारा तहसीलदार नौखडा के पत्र कमांक 593 दिनांक 6.7.23 द्वारा प्रस्तावित राजस्व ग्राम अणदाणियों की बेरी के उल्लेखित खसरान की भूमि में रास्ते में उपयोग हो रही उल्लेखित हैक्टर भूमि की किस्म गै0मु0 रास्ता परिवर्तित करने एवं नक्शा (लटठा) ट्रेस में दुरस्ती एवं राजस्व रेकर्ड में विद्यमान कदीमी रास्ते के रूप में दर्ज करने का आदेश पारित किया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई।

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

अपील के साथ अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा करने हेतु अवधि गणनार्थ अधिनियम की धारा 05 के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया। जो न्यायहित में स्वीकार कर अपील का गुणावगुण पर परीक्षण किया गया।

उभय पक्षकारान की बहस सुनी। दौरान सुनवाई वकील अपीलांट ने अपील मीमों में उल्लेखित तथ्यों को दौहराते हुए मुख्यतः यह आग्रह किया गया कि अपीलाधीन आदेश में अपीलांट्स के खसरा नम्बर 191 की भूमि में से 0.2914 हैक्टर भूमि को गै0मु0 रास्ता घोषित किया गया है, जबकि प्रस्तावित भूमि को अवाप्त किए बिना रास्ते में दर्ज नही किया जा सकता हे। अपीलाधीन कार्यवाही में अपीलांट्स की कोई सहमति नही ली गई है। आरएलआर एक्ट की धारा 136 में बिना खातेदार की सहमति के उसकी कृषि भूमि को अन्य उपयोग में परिवर्तित करने का प्रावधान नही है। काननून तहसीलदार नोखड़ा को इस मामले में रास्ते की आवश्यकता प्रतीत होती, तो वह भूमि अर्जन अधिनियम की प्रकिया अपनाकर खातेदार/काश्तकार को क्षतिपूर्ति करके भूमि प्राप्त कर सकते है, क्योंकि अपीलांट्स के खसरान में कदीमी/सार्वजनिक रास्ता मौजूद नही है, उक्त प्रस्ताव मात्र एक खेत की लिए, कुछ व्यक्तियों को अनुचित लाभ पहुंचाने की नीयत से प्रस्तुत किया गया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों की जांच किए बिना सरसरी तौर पर स्वीकार कर लिया गया, जो कि विधि अनुकूल नही है। इसके अलावा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट्स को नोटिस/सुनवाई एवं उजर एतराज प्रस्तुत करने का विधिवत अवसर नही दिया गया। जो कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरित होने से अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाने का आग्रह किया गया।

रेस्पो0 सं0 5 व 9 के अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में मुख्यतः यह निवेदन किया गया कि अपीलाधीन कार्यवाही प्रशासन गांवो के संग अभियान के दौरान कैम्प कोर्ट–उपखण्ड कार्यालय गुडामालानी में की गई है। कैम्प कोर्ट के नोटिस पटवारी ही तामिल करवाता है। प्रकरण में विप्रार्थीगण को आगामी सुनवाई दिनांक 19.7.23 का नोटिस दिनांक 7.7.23 को जारी किया गया था। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध तामिली रिपोर्ट के अनुसार अपीलांट–विप्रार्थी सं0 1 से 6 के नोटिस हस्ताक्षर नही करने से चस्पा किये गये व शेष की तामिली अंकित है। तहसीलदार नोखडा द्वारा राज्य सरकार के राजस्व (ग्रुप–1) विभाग के परिपत्र दिनांक 10.8.16 के तहत चालू स्थाई रास्ते का राजस्व अभिलेख में अंकन हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया गया था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में नियत सुनवाई दिनांक 19.7.23 को विप्रार्थीगण के बावजूद नोटिस तामिल

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

अनुपस्थित रहने से एकतरफा निर्णय पारित किया गया है। गुगल मेप के अनुसार मौके पर कदीमी रास्ता रास्ता मौजूद है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधिसम्मत एवं राज्य सरकार के परिपत्र की पालना में पारित किया गया है।

इसके अलावा हस्तगत प्रकरण में न्यायालय हाजा के अंतरिम स्थगन आदेश पारित होने के पश्चात अपीलांट्स के खसरा नं0 191 में मौके पर 6 भाग हो रखे है। इनमें से 1 भाग पर काबिजकाश्त द्वारा स्थगन आदेश के बावजूद मौके पर रास्ता बन्द किया गया व शेष खसरान में रास्ता चल रहा है। इस प्रकार स्थगन आदेश की आड़ में मौके पर रास्ता बन्द किए जाने से आवागमन में बाधा उत्पन्न हो रही है। अतः अपील अपीलांट्स खारिज फरमाने आग्रह किया गया।

राजकीय अधिवक्ता द्वारा अपीलाधीन आदेश का समर्थन करते हुए, प्रकट तथ्यों के आधार पर विधिसम्मतः निर्णय पारित कराने का आग्रह किया गया।

हमने दोनो पक्षों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी। पत्रावली एवं रेकर्ड पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन व मनन किया। जिसके अनुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपरोक्त कार्यवाही तहसीलदार नोखडा से प्राप्त प्रस्ताव पर की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व संबंधित खातेदारों को नोटिस एवं सुनवाई का समुचित अवसर नही दिया जाना पाया गया है। वकील अपीलांट का कथन है कि उक्त प्रस्ताव मात्र एक खेत की लिए, कुछ व्यक्तियों को अनुचित लाभ पहुंचाने की नीयत से प्रस्तुत किया गया, जिसकी पुष्टि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में प्रस्ताव के संलग्न नजरी नक्शे से स्पष्टतः प्रतीत है।

अतः इस स्थिति में अपील अपीलांट स्वीकार योग्य पायी जाने से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गुडामालानी (बाडमेर) द्वारा प्रकरण संख्या 44/2023 में पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.7.23 अपास्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 15 मई, 2024 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

15.05.24

(अजीत सिंह राजावत)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर